

24.6.24

पत्रावली पेश हुई। अफसर (.....)

बदल प्रार्थनापत्र हेतु अवसर-याद / अवसर  
दिया गया। पत्रावली गान्त बदल प्रार्थनापत्र  
दि. दि. 24.7.24 को पेश होवे।

SDO

24.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील उभायपदाकारान  
उपस्थित। वकील प्रार्थी न्यायालय द्वारा  
आब तक की कार्यवाही से संतुष्ट हैं  
एवं आगे कार्यवाही नहीं चाहेते हैं।  
वकील वादी ने नोट-प्रेस करने का  
निवेदन किया। वकील वादी द्वारा नोट  
प्रेस क्रिये जाने के आदेश पर प्रार्थना  
पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद  
रहे।

Note  
press

(M)  
शुमार

2

उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा